

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३२ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक २७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :- अनुसूची का संशोधन.

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
२८.	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, भोपाल.	वंशपति स्मृति शिक्षा समिति, पटेल कालेज परिसर, रातीबड़, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२९.	भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल.	आयुष्मती एजुकेशन एण्ड सोशल सोसाइटी, २०२, गंगा-जमुना काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	भाभा विश्वविद्यालय, एन.एच. १२, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३०.	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर.	श्री साईं ग्रामोत्थान समिति, मानसरोवर परिसर, कोलार रोड, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अव्यापारिक निगम अधिनियम, १९६२ (क्रमांक २० सन् १९६२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, ग्राम रत्नाखेड़ी एवं ग्राम गाडिया, ब्लाक विल्किसगंज, सीहोर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबोधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के प्रकाश में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय अर्थात् मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय, रातीबड़, भोपाल, भाभा विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल एवं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, सीहोर स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के प्रकाश में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २८ नवम्बर, २०१७

जयभान सिंह पवैया
भारसाधक सदस्य.

